[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

के पांच वर्षों के लिए और अधिक उनकी अवधि बढ़ा दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह मांग की है कि बेरोजगार पोस्ट डॉक्ट्रोल फैलोशिप को उचित बेरोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए और जो पोस्ट डॉक्ट्रोल फैलोज हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक संस्थाओं में 20 वर्षों तक, 25 वर्षों तक कार्य किया है, उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन आदि की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह बात कहना चाहती हूं कि हमारे देश के ये युवा वैज्ञानिक जो यह मांगें उठा रहे हैं, उनकी मांगें बहुत ही जायज मांगें हैं, बहुत ही मुनासिब मांगें हैं। हमारे देश में जो अनुसंधान संस्थाएं हैं, जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के कार्य चलाती रही हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अवगत होंगे कि किस तरह उन शोध संस्थाओं में कितनी तरह की मानसिक यंत्रणाओं के बीच में हमारे शोधार्थियों को काम करना पड़ता है और अक्सर यह देखा गया है कि इन शोध संस्थाओं में काम करने वाले युवा वैज्ञानिक, डाक्टर्स, इन्जीनियर्स को इस तरह की परिस्थितियों में रहना पड़ता है कि वे जिंदगी से भी निराश हो जाते हैं और आत्म-हत्याओं की कई घटनाएं इन शोध संस्थाओं में हम सुनते रहे हैं। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह जो शोधार्थी, युवा वैज्ञानिक जिन्होंने यह निर्णय लिया है और उन्होंने पिछले ५ तारीख को देश भर में सामूहिक अवकाश लिया है और अब यह मांग कर रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे अगर इस तरह से हमारे साथ सलूक किया जाएगा। तो यह बहुत ही गंभीर घटना है। इससे पहले हमारे देश के युवा वैज्ञानिक, युवा शोधार्थी किसी चरम निर्णय पर पहुंचें, तो क्या हमारे देश की सरकार का फर्ज नहीं बनता। जब तक साम्राज्यवादी संस्थाएं ऐसे ही चाहती हैं कि हमारे देश में शोध और विकास के कार्यों पर अवरोध लग जाए और दूसरी तरफ अगर हमारे देश की सरकार अनुकूल परिस्थितियां तैयार नहीं करती तो जाहिर है कि हमारे देश के शोध और विकास कार्यों पर रुकावटें आनी हैं। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय मैं आपसे यह निवेदन करुंगी कि हमारे प्रधान मंत्री जो विज्ञान और तकनीकी विभाग को भी देखते हैं, कम से कम इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यह कदम उठाएं कि हमारे देश के जो युवा वैज्ञानिक हैं, युवा शोधकर्ता हैं उनको वे तमाम सुविधाएं दी जाएं, उनको सरकारी कर्मचारियों की मान्यता दी जाए और अगर ऐसा नहीं हो तो उनको पोस्ट डॉक्ट्रोल फैलोशिप की अनुमति दी जाए। जो उनकी मांगें हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जाए।

Re: Demand to Check the Activities of I.S.I. activities

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही जो राष्ट्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब तक पाकिस्तान की आई० एस० आई० कश्मीर में ही उग्रवादियों को प्रशिक्षित करते और हथियारों से लैस करके भेजा करते थे जिससे कश्मीर की समस्या आज भी जटिल बनी हुई है, अब दूसरी तरफ भी इधर जो भारत-नेपाल की सीमा है, उस सीमा को पार करके यही आई० एस० आई० अपने उग्रवादियों को हथियारों से लैस करके सरहदों को पार कराकर बिहार में भी भेज रही है। इसके कारण वहां पर दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार का इलाका बहुत ही अशांत बना हुआ है तथा पलामू, गया, औरंगाबाद जिले सारे, उन्हें हथियारों से लैस होकर के जो वहां पर आए हैं, वही उग्रवादी वहां पर भी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अगर इस पर रोक नहीं लगी तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बनेगी। कश्मीर की प्रोब्लम तो हमारे सामने है और उधर भी जो समस्या यह बढ़ती जा रही है तो इसलिए आपके माध्यम से, चूंकि गृह मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से देखें और इस बात की भी व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि सरहद से जो आई० एस० आई० के लोग प्रशिक्षित लोगों को, हथियारों से लैस होकर के, साफिस्टेकेटेड आर्म्स से लैस होकर के आज भेज रहे हैं और वहां पर अशांति पैदा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आने पाए, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है और मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी इस बात को गंभीरता से राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विचार करेंगे और कदम भी उठाएंगे ताकि वहां से वे इस सीमा को पार करके भारत-नेपाल से बिहार में नहीं आने पाएं और दूसरे जो छोटे राज्य उधर हैं, वह भी अशांत न बनने पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं और माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कुछ दो शब्द कहकर सदन को आश्वस्त करें कि इस तरह की स्थिति नहीं आने पाएगी ताकि कश्मीर की तरह बिहार भी अशांत न हो जाए। यही मेरा आग्रह है।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): महोदय, अभी जो बात उठाई गई है, यह आई० एस० आई० का मामला

सरकार के विचाराधीन है और जहां-जहां पर यह एक्टीविटीज हो रही हैं, वह सारी सरकार के ध्यान में हैं। वहां जो एक्शन लेना जरूरी है उसको जरूर उठाएंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): We now take up the legislative business. Statutory Resolution and The Protection of Human Rights Bill, 1993, will be taken up together.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPAROVAL OF THE RIGHTS ORDINANCES, 1993

II. THE PORTECTION OF HUMAN RIGHTS BILL, 1993

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र): मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 सितंबर, 1993 को प्रख्यापित मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 (1993 का संख्याक 30) का निरनुमोदन करती है।"

उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का सिद्धांत रूप से हम स्वागत करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से गत अनेक वर्षों से यह विषय देश के सामने रखा गया कि देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होना चाहिए और देश के अंतर्गत जहां भी मानव के अधिकारों का हनन होता है, उसको ठीक और कानूनी तरीका मिलना चाहिए। इसलिए हमने हमेशा यह मत रखा कि तुष्टीकरण की राजनीति से कोई अल्पसंख्यक आयोग बनाने के स्थान पर अगर हम सभी वर्गों, समुदायों, धर्मों के नागरिकों की अपने अधिकारों के हनन के बारे में जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को देखने के लिए एक मानव अधिकार आयोग का गठन करें तो उचित होगा।

महोदय, सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग का गठन तो शायद तुष्टीकरण के लिए कर लिया लेकिन उसके पश्चात भी सरकार ने यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रस्ताव किया है, इसका मैं सिद्धांत रूप में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो एक बहुत पुरानी मांग रही है, उसको आज एक प्रकार से स्वीकृति मिल रही है। इसका हमें आनंद है।

महोदय, दोनों सदनों में जब चर्चा होती है और खासकर लोकसभा से जब एक विधेयक पारित होकर हमारे सदन में आता है तो हमारे मन के प्रश्नों के संबंध में गृह मंत्री क्या उत्तर देंगे, इस संभावना का प्रश्नकर्ता को पता रहता है और शायद इसी पद्धति में गृह मंत्री को भी पूछे जाने वाले प्रश्नों का पता होता है। इसलिए मैं प्रश्न पूछने से पहले विनम्रता से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे सदन में उन्होंने जो उत्तर दिया है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ-साथ अगर इस सदन में कुछ मुद्दे आग्रह से रखे गए हों तो उस पर अगर समय हो तो वे पुनर्विचार करें अन्यथा दोनों सदनों की आवश्यकताओं पर एक प्रकार से प्रश्नचिह्न लग जाएगा।

हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन का स्वागत किया है पर फिर भी इस गठन की पद्धति पर हमारी आपत्ति है। आपको याद होगा कि मानव अधिकार आयोग का एक विधेयक 14 मई, 1993 में संसद में प्रस्तुत हुआ था। यद्यपि उस विधेयक और वर्तमान विधेयक में जमीन-आसमान का अंतर है, यद्यपि उस विधेयक में जो त्रुटियां थीं उनको कुछ न कुछ कम करने का प्रयास इस विधेयक में जरूर किया गया है लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि पहले तो विधेयक संसद में आया। संसद में आने के बाद गृह मंत्रालय की जो स्थायी समिति बनी है, नई पद्धति के अनुसार उसके पास यह विधेयक चला गया। वह समिति इस पर विचार कर रही थी और 6 दिसंबर को उस समिति ने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रख दी। मैं भी उस स्थायी समिति का सदस्य हूं इसलिए 9 महीने से मैं उसकी प्रक्रिया का नज़दीक से अध्ययन कर रहा हूं।

उस प्रक्रिया के बाद में यह कह सकता हूं कि यद्यपि इस समिति के मन में जो था वह इस विधेयक के तन में है, लेकिन समिति का सदन के सामने रिपोर्ट आने के पहले ही गृह मंत्रालय में, समिति के मन में या रिपोर्ट में क्या हो सकता है, इस का अंदाज़ लेकर किस प्रक्रिया से यह पूर्ण करके यह विधेयक लाया है, इसकी मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन व्यवहार में जब समिति इस पर विचार कर रही थी, समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी थी तो 28 सितंबर को अचानक सरकार को अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? जैसे मैंने कहा कि इस पर गृह मंत्री का मन मैं पढ़ सकता हूं और उस पढ़ने में स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय का कहना, लगता यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में मानव अधिकारों के हनन के संबंध में चर्चा होने की संभावना थी और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में यह चर्चा